

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/अग्रहायण 16, 1937

No. 755]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/AGRAHAYANA 16, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 दिसम्बर, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 935(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.14/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- i. ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- ii. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन:-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2) (b) के बाद (c) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

‘भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत भुगतान का अन्य कोई माध्यम।’

[सं. फेमा. 357/2015-आरबी]

ए. के. पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

(i) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सा.का.नि. सं. 397 (अ) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 772(अ) दिनांक 29.09.2003

सा.का.नि. सं. 53(अ) दिनांक 02.02.2005

सा.का.नि. सं. 343(अ) दिनांक 29.05.2013

सा.का.नि. सं. 479(अ) दिनांक 12.07.2013

सा.का.नि. सं. 322(अ) दिनांक 07.05.2014

सा.का.नि. सं. 931(अ) दिनांक 31.12.2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th December, 2015

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment)

(Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 935(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA 14/2000-RB dated 3rd May, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000 namely;

1. Short title and commencement

- i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2015.
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000, in the Regulation 5, after sub-regulation (2) (b) following shall be added at (c), namely:

‘Any other mode of payment in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India to authorised dealers from time to time.’

[No. FEMA.357/2015-RB]

A. K. PANDEY, Chief General Manager

Foot Note:-

(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.397(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R. No. 772(E) dated September 29, 2003

G.S.R. No. 53(E) dated February 2, 2005

G.S.R. No. 343(E) dated May 29, 2013

G.S.R. No. 479(E) dated July 12, 2013

G.S.R. No. 322(E) dated May 07, 2014

G.S.R. No. 931(E) dated December 31, 2014